



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल  
सामान्य प्रशासन विभाग  
:: आदेश ::



श्री वसीम खान पुत्र शाहजाद खॉ, सिपाही, कामगार नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री वसीम खान, सिपाही, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13-01-2026

पृष्ठा क्रं. 01/...../सा.प्र.वि./25

प्रतिलिपि :-

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री वसीम खान, सिपाही, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री सलीम पुत्र स्व. श्री रशिद खॉं, कामगार नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री सलीम, कामगार, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनो का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।


(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठा क्रं. 02 / सा.प्र.वि. / 25  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13-01-2026

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री सलीम, कामगार, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल  
सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री राजा खों पुत्र स्व. श्री मो. रईस, कामगार नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री राजा खों, कामगार, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठा क्रं. 03 / सा.प्र.वि. / 25

भोपाल, दिनांक/3-01-2026

प्रतिलिपि :-

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री राजा खों, कामगार, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री शेख युसुफ पुत्र श्री इस्माईल, कामगार नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री शेख युसुफ, कामगार, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)


  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठा क्रं. 04 / सा.प्र.वि. / 25

भोपाल, दिनांक 13-01-2026

प्रतिलिपि :-

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री शेख युसुफ, कामगार, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल  
सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री वहीद खान पुत्र श्री मो. नादर खॉं, नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री वहीद खान, कामगार, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक/3-01-2026

पृष्ठा क्रं. 05 / सा.प्र.वि. / 25  
प्रतिलिपि :-

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री वहीद खान, कामगार, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री मोहम्मद फैयाज खान पुत्र स्व. श्री फैज खान, चौकीदार, नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री मोहम्मद फैयाज खान, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनो का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।


(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठा क्रं. 06 / सा.प्र.वि. / 25  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13-01-2026

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री मोहम्मद फैयाज खान, चौकीदार, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::


श्री ईसा मो. खान, चौकीदार (मूलपद जब्बाह) नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री ईसा मो. खान, जब्बाह, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनो का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठा क्रं.....07...../सा.प्र.वि./25  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 3-01-2026

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री ईसा मो. खान, चौकीदार (मूलपद जब्बाह), नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग



:: आदेश ::

श्री अब्दुल रहमान, नि.श्रे.लि, नगर निगम पशु वध गृह जिन्सी पर पदस्थ है। विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

अतः श्री अब्दुल रहमान, नि.श्रे.लि, को सौंपे गये कार्यों के प्रति लापरवाही एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप पत्र एवं अभिकथनो का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

निलंबन अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय आई.एस.बी.टी स्थित अतिक्रमण शाखा रहेगा।

तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3-01-2026

पृष्ठा क्रं. 08 / सा.प्र.वि. / 25

प्रतिलिपि :-

- 01 मान. महापौर/अध्यक्ष महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, महो० की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 अपर आयुक्त (वित्त/स्वास्थ्य/अतिक्रमण)।
- 04 उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य)।
- 05 उप संचालक, आवासीय संपरीक्षा शाखा।
- 06 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर निगम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 07 श्री अब्दुल रहमान, नि.श्रे.लि, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल